फाइल संख्या-71-1002(002)/16/2022

99/2022/।/216588/2022

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 21 सितम्बर, 2022

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज,** आगरा/जालौन/बांदा/कन्नौज/सहारनपुर/प्रयागराज/ गोरखपुर/अम्बेडकर नगर/आजमगढ़/कानपुर **के विभिन्न विभागों में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/31, दिनांक 20.04.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/110, दिनांक 25.05.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/170, दिनांक 13.06.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/116, दिनांक 30.05.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/182, दिनांक 23.06.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/80, दिनांक 17.05.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/55, दिनांक 16.05.2022, पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/108, दिनांक 25.05.2022 एवं पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2022-23/164, दिनांक 09.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-105-03-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रू0 1280.288 लाख (रू0 बारह करोड़ अस्सी लाख दो सौ अट्ठासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	अनुरक्षण के कार्य	**अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू0 में)**
1	मेडिकल कालेज, आगरा में	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	10699023.5
2	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	7299466.43
3	राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा	गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	1090936.5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4	राजकीय मेडिकल कालेज, बॉदा	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	6475236.5
5	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	13106000
6	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	3055333.5
7	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	4626135
8	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	12108704.5
9	राजकीय मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	20142500
10	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ़	चिकित्सकीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	9396952.5
11	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर (लाला लाजपत राय चिकित्सालय सहित)	आवासीय एवं अनावासीय भवन के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य (गैर चिकित्सीय श्रेणी)	40000000.00
		योग-	12,80,00,288.40

3- उपर्युक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के सद्व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।
6. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-1-864/दस-08-15(1)/86, दिनाँक 23.09.2008 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 12,80,00,288 (रुपये बारह करोड़ अस्सी लाख दो सौ अट्ठासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय—व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-उपरोक्त तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा / जालौन / बांदा / कन्नौज / सहारनपुर / प्रयागराज / गोरखपुर / अम्बेडकर नगर / आजमगढ़ / कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल आगरा / जालौन / बांदा / कन्नौज / सहारनपुर / प्रयागराज / गोरखपुर / अम्बेडकर नगर / आजमगढ़ / कानपुर।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा / जालौन / बांदा / कन्नौज / सहारनपुर / प्रयागराज / गोरखपुर / अम्बेडकर नगर / आजमगढ़ / कानपुर।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / 2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।